



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

टोल फ्री नं. + 18002331575

डॉ. एम.एम. मंगोड़ी

क्षेत्रीय निदेशक : दूर शिक्षा निदेशालय

Dr. M.M. Mangodi

Regional Director: Directorate of Distance Education

पत्रांक : 023/बी.का.प.स.आ./2018/3/1465  
दिनांक : 16/05/2018

प्रति,


समस्त केंद्र समन्यवक

बी.एड. सत्र 2017-19

विषय: बी.एड. सत्र 2017-19 के विद्यार्थियों हेतु कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में-

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई) के नियमानुसार दूरस्थ शिक्षा में बी.एड पाठ्यक्रम हेतु अनिवार्य 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन समस्त अध्ययन केंद्र पर किया जाना है। सभी अध्ययन केंद्र समन्यवक 31 मई 2018 तक कार्यशाला का आयोजन कर संबंधित दस्तावेज यथा- विद्यार्थी उपस्थिति पत्रक, कार्यशाला की समय सारिणी, रिपोर्ट एवं छायाचित्र वर्धा मुख्यालय पर प्रेषित करें। कार्यशाला के आयोजन हेतु किसी भी प्रकार का वित्तीय भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

  
(क्षेत्रीय निदेशक)